रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072025-264855
CG-DL-E-21072025-264855

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947
No. 437] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार ,मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 215ख की उप-धारा (1), 215ग की उप-धारा (1), 215ग की उप-धारा (2) के उप-खंड (ग), (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2021 और का.आ. 3627(अ) दिनांकित 3 सितंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, प्रस्तावित कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (सड़क सुरक्षा), ई-मेल- comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे। आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से धारा 215ख की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) "गैर-सरकारी सदस्य" से गैर-सरकारी संस्था, संगठन या किसी व्यक्ति से संबद्ध बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड का गठन.- (1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(i) राजमार्ग इंजीनियरिंग, सड़क सुरक्षा, विधि, यातायात प्रबंधन और विनियमन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या लोक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार की राय में, बोर्ड के लिए अधिनियम के तहत इसके कृत्यों के निष्पादन और इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष के रुप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(ii) राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के छह सदस्य, जो परिवहन आयुक्त या यातायात प्रबंधन के प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे के न हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किए जाएगें ।

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कोई दो प्रतिनिधि, जो उप महानिदेशक (एडीजी) की पंक्ति से नीचे के न हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा पदेन सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किए जाएगें।।

(iv) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कोई दो प्रतिनिधि, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सदस्य के पद से नीचे के न हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा पदेन सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किए जाएगें।

(v) राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) का कोई प्रतिनिधि, जो एनएचआईडीसीएल में निदेशक के पंक्ति से नीचे का न हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा पदेन सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(vi) सड़क सुरक्षा, विधि, नागरिक समाज कार्य, यातायात प्रबंधन और विनियमन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या लोक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, केन्द्र सरकार के कम से कम पांच परंतु अधिक से अधिक सात योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किए जाएगें;

(vii) केन्द्रीय सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, बोर्ड का पदेन सदस्य सचिव होगा।

परंतु केन्द्रीय सरकार खंड (ii) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह सुनिश्चित करेगी कि सदस्य देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से लिए जाएं।

(2) किसी व्यक्ति को तब तक अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले और उसे उप-नियम (1) के खंड (i) में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव न हो।

(3) किसी व्यक्ति को खंड (vi) के अधीन तब तक नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह चालीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले तथा उसे उप-नियम (1) के खंड (vi) में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव न हो।

(4) केन्द्रीय सरकार स्वयं का समाधान करेगी कि उप-नियम (1) के खंड (i) के अधीन अध्यक्ष या खंड (vi) के अधीन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हो।

स्पष्टीकरण: उप-नियम (1) के परन्तुक के प्रयोजन के लिए, "क्षेत्र" से निम्नलिखित छह क्षेत्रों में से एक अभिप्रेत है:

(i) उत्तरी क्षेत्र, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य और दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं;

(ii) मध्य क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं;

(iii) पूर्वी क्षेत्र, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं;

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं;

(v) पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं;

(vi) दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य तथा लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अवधि, भत्ते तथा अन्य नियम और शर्तें-

(1) अध्यक्ष प्रथम कार्यकाल के लिए नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और अधिकतम दो वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा:

परन्तु बोर्ड का अध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण नहीं करेगा।

(2) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (vi) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य, नामांकन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और अधिकतम एक और कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा:

परन्तु बोर्ड का ऐसा सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा:

(3) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ii) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों को चक्रानुक्रम के आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति किसी पद या पद को धारण करने के कारण बोर्ड के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है, वहां वह, यथास्थिति, ऐसे पद या पद को धारण करने के समाप्त होते ही बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा और उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त अधिकारी बोर्ड का सदस्य बना रहेगा:

परन्तु यह कि किसी पद या पद के रिक्त होने पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत् नियुक्त कोई अधिकारी, पूर्व में नाम निर्दिष्ट सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।

(5) बोर्ड, बोर्ड द्वारा विचाराधीन किसी मामले में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बोर्ड की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकता है:

(6) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, किन्तु अध्यक्ष और पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने तथा बोर्ड की बैठकों के संबंध में यात्रा और प्रवास के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

5. अध्यक्ष या सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना.-

(1) अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (vi) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य, अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर सदस्य के रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (vi) के अधीन नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य को, जैसा भी मामला हो, बोर्ड से हटा सकेगी, जो-

(क) दिवालिया है, या किसी भी समय एक न्यायनिर्णित दिवालिया हो गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोष-सिद्ध किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता के अंतर्गत आता है; या

(ग) सक्षम न्यायालय द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम पाया गया है; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे एक सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए अहितकर हो।

(3) जहां अध्यक्ष या सदस्य को उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित है तो उन्हें उनके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

6. बोर्ड का सचिवालय.-

(1) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के लिए एक सचिवालय स्थापित करेगी जो निम्नलिखित कर्तव्यों का निवर्हन करेगा:

(i) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना;

(ii) बोर्ड की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना;

(iii) बोर्ड की ओर से सरकारों और अन्य एजेंसियों सहित हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना;

(iv) अधिनियम के तहत जिन उद्देश्यों के लिए बोर्ड का गठन किया गया है, उनके संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निर्वहन करना।

(2) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त या नियुक्त करेगी।

(3) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए बोर्ड के कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसे व्यक्तियों या एजेंसियों को एक निश्चित अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकेगा।

7. बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य-

बोर्ड अधिनियम की धारा 215ख के प्रावधानों के अधीन उसे सौंपी गई शक्तियों के अनुसार कृत्य करेगा।

8. बोर्ड की बैठकें-

(1) बोर्ड आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें आयोजित करेगा, परंतु बोर्ड के सदस्य तीन माह में कम से कम एक बार और ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेंगे जैसा अध्यक्ष या सदस्य सचिव निर्धारित करें।

(2) सदस्य सचिव, सदस्यों को बैठक की सूचना जारी करेगा जिसमें बैठक की तिथि, समय, स्थान और कार्यसूची निर्दिष्ट होगी।

(3) अध्यक्ष या कोई भी सदस्य, जिनका बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखे जाने वाले किसी भी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है, वह जैसे ही उसके ज्ञान में आता है, बोर्ड के समक्ष हित की प्रकृति को प्रकट करेगा।

(4) उप-नियम (2) के अधीन अध्यक्ष या सदस्य द्वारा किया गया प्रकटीकरण बैठक की कार्यवाही में अभिलिखित किया जाएगा और अध्यक्ष या ऐसा सदस्य उस मामले या उससे संबंधित किसी भी मामले की बाबत में बोर्ड के किसी भी विचार-विमर्श या निर्णय से अलग रहेगा:

(5) बोर्ड के कुल पदस्थ सदस्यों का पचास प्रतिशत, बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।

(6) बोर्ड की बैठक में आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा डाले गए मत के बहुमत से किया जाएगा। मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य निर्णायक मत का प्रयोग कर सकेगा।

(7) इस संबंध में बोर्ड के सभी आदेश और निर्णय सदस्य सचिव द्वारा अधि-प्रमाणित किए जाएँगे।

(8) बोर्ड के किसी भी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा या उसे अमान्य नहीं किया जाएगा कि बोर्ड में कोई रिक्ति है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है।

9. कार्य समूह-

(1) बोर्ड अपने कृत्यों के कुशल निर्वहन हेतु, अपने कृत्यों के निष्पादन में परामर्श देने हेतु, स्वतंत्र तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञों से युक्त एक या एक से अधिक कार्य समूह गठित करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन गठित प्रत्येक कार्य समूह का अध्यक्ष बोर्ड का ऐसा सदस्य होगा जिसे अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित किया जाए।

10. अध्यक्ष, सदस्य आदि का लोक सेवक होना-

बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएँगे।

[फा. सं. आरटी-16011/01/2025-आरएस][252961]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

G.S.R. 480(E).——The following draft rule of certain rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 215B, sub-section (1) of section 215C and sub-clause (c), (d) and (e) of sub-section (2) of section 215C of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in supersession of the National Road Safety Board Rules, 2021, and S.O. 3627(E) dated 3rd September, 2021, is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (Road Safety), email: comments-morth@gov.in , Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001. Any objection(s) or suggestion(s) which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short Title and commencement.-

(1) These rules may be called the National Road Safety Board Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) “Act” means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) “Board” means the National Road Safety Board constituted under sub-section (1) of section 215B;

(c) “Chairperson” means the Chairperson of the Board;

(d) “Member” means a member of the Board;

(e) “Non-official Member” means member of the board affiliated to non-government entity, organization or an individual;

(f) “Section” means a section of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined and defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Constitution of the Board.- (1) The Board shall consist of the following members, namely:

(i) Chairperson, who shall be a person of ability, integrity and standing, having special knowledge of, or experience in, highway engineering, road safety, law, traffic management and regulation, automobile engineering or public administration which, in the opinion of the Central Government, is relevant for the Board to perform its functions and fulfil its objectives under the Act, to be nominated by the Central Government;

(ii) six members being officers of State Governments or Union Territory Administrations, not below the rank of a Transport Commissioner or the rank of Additional Director General of Police in charge of traffic management, to be nominated by the Central Government

(iii) two members being officers, not below the rank of Additional Director General (ADG), representing the Ministry of Road Transport and Highways, to be nominated by the Central Government, ex-officio;

(iv) two members representing National Highways Authority of India, not below the rank of Member in the National Highways Authority of India, shall be nominated by the Central Government, ex-officio;

(v) a member representing the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL), not below the rank of Director in NHIDCL, to be nominated by the Central Government, ex-officio;

(vi) not less than five but not exceeding seven members, being persons of ability, integrity and standing, having special knowledge of, or experience in, road safety, law, civil society engagement, traffic management and regulation, automobile engineering or public administration, to be nominated by the Central Government;

(vii) an officer of the Ministry of Road Transport & not below the rank or equivalence of Joint Secretary in the Central Government, who shall be the Member Secretary of the Board, ex-officio.

Provided that in exercise of the powers under clause (ii), the Central Government shall ensure that the members are drawn from all geographical zones of the country

(2) A person shall not be nominated as Chairperson unless he has attained forty five years of age and has an experience of at least fifteen years in any of the fields mentioned in clause (i) of sub-rule (1).

(3) A person shall not be nominated under clause (vi) unless he has attained forty years of age and has an experience of at least fifteen years in any of the fields mentioned in clause (vi) of sub-rule (1).

(4) The Central Government shall satisfy itself that the person proposed to be nominated as Chairperson under clause (i) or as member under clause (vi) of sub rule (1) does not have any financial or other interest that may be prejudicial to performance of functions as such Chairperson or Member.

Explanation: For the purpose of proviso to sub-rule (1), the expression "zone" means one of the following six zones:

(i) the Northern Zone, comprising the States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan and the Union territories of Delhi, Chandigarh, Jammu and Kashmir and Ladakh;

(ii) the Central Zone, comprising the States of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh and Chhattisgarh;

(iii) the Eastern Zone, comprising the States of Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Sikkim and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;

(iv) the North-Eastern Zone, comprising States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura;

(v) the Western Zone, comprising the States of Goa, Gujarat and Maharashtra and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(vi) the Southern Zone, comprising the States of Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala and the Union Territories of Lakshadweep and Puducherry.

4. Term, allowances and other terms and conditions of appointment of Chairperson and Members.-

(1) The Chairperson shall hold office for such period not exceeding three years from the date of nomination for first term and shall be eligible for re-nomination for a maximum of one more term of two years:

Provided that the Chairperson of the Board shall not hold office after he has attained the age of sixty five years for second term.

(2) A Member nominated under clause (vi) of sub rule (1) of Rule 3 shall hold office for such period not exceeding two years from the date of nomination and shall be eligible for re-nomination for a maximum of one more term:

Provided that in such Member of the Board shall not hold office after he has attained the age of sixty five years:

(3) The Members nominated under clause (ii) of sub-rule (1) of Rule 3 shall be nominated for a term of two years on rotation basis.

(4) Where a person is nominated as a member of the Board by virtue of holding an office or a post, he shall cease to be a member of the Board as soon as he ceases to hold such office or post, as the case may be, and the officer duly appointed as his successor shall continue as a member of the Board:

Provided that an officer duly appointed as successor to an office or post on vacation of the post be the earlier nominated member shall continue as a member of the Board for the remaining term.

(5) The Board may invite persons of ability, integrity and standing, having special knowledge of, or experience in any matter under consideration by the Board as a special invitee to a meeting of the Board:

(6) The Chairperson and members of the Board shall not be paid any salary but the Chairperson and members other than ex-officio members shall receive such allowances for attending the meetings of the Board and for travel and stay in connection with meetings of the Board, as may be specified by the Central Government.

5. Resignation and removal of Chairperson or members.-

(1) The Chairperson may resign his position at any time before expiry of his term, by a written notice, addressed to the Central Government.

(2) A member nominated under clause (vi) of sub-rule (1) of Rule 3 may resign his position as member at any time before expiry of his term, by a written notice addressed to the Central Government.

(3) The Central Government may remove the Chairperson or member nominated under clause (vi) of sub-rule (1) of Rule 3, as the case may be, from the Board, who-

(a) is, or at any time has been adjudged an undischarged insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has been found to be physically or mentally incapable of discharging his or her duties by a court of competent jurisdiction; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his or her functions as a member; or

(e) has, in the opinion of the Central Government, so abused his or her position as to render his or her continuance detrimental to the public interest

(3) Where the Chairperson or member is proposed to be removed on any ground specified in sub-rule (3), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

6. Secretariat of the Board.-

(1) The Central Government shall establish a Secretariat for the Board which shall perform the following duties:

(i) organise the meetings of the Board;

(ii) maintain records of the proceedings of the Board;

(iii) co-ordinate with stakeholders including Governments and other agencies on behalf of the Board ;

(iv) discharge any other functions as may be assigned by the Board from time to time, in relation to the purposes for which the Board has been constituted under the Act

(2) The Central Government shall depute or second officers and such other employees, as it may consider necessary for the efficient performance of functions of the Board.

(3) The Board may, with the prior permission of the Central Government, engage such persons or agencies on contract for a defined period for the performance of functions of the Board assigned to it under the Act.

7. Powers and Functions of the Board.-

The Board shall perform such functions as are assigned to it under the provisions of section 215B of the Act.

8. Meetings of the Board.-

(1) The Board shall hold its meetings as and when required, provided that the members of the Board shall meet at least once in three months, and at such times and such place as the Chairperson or Member Secretary may determine.

(2) The Member Secretary shall issue a notice of meeting to the members specifying the date, time, venue, and agenda of the meeting.

(3) The Chairperson or any Member who has any direct or indirect interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Board shall, as soon as it comes to his or her knowledge, disclose the nature of interest to the Board.

(4) A disclosure made by the Chairperson or a Member under sub-rule (2), shall be recorded in the proceedings of the meeting, and the Chairperson or such Member shall recuse from any deliberation or decision of the Board with respect to that matter or any matter connected therewith:

(5) Fifty percent of the total members of the Board in position shall constitute the quorum for a meeting of the Board.

(6) All questions, which come up before a meeting of the Board, shall be decided by a majority of the votes cast by the members present and voting. In the case of equality of votes, the Chairman or in his absence, the member designated by the Chairperson may exercise a casting vote.

(7) All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the Member Secretary in this behalf.

(8) No act or proceedings of the Board shall be questioned or invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

9. Working Groups.-

(1) The Board shall, for the efficient discharge of its functions, constitute one or more Working Groups which shall consist of independent technical and professional experts, to advise it in the performance of its functions.

(2) Each Working Group constituted under sub-rule (1) above, shall be headed by such Member of the Board as may be designated by the Chairperson.

10. Chairperson, Members, etc., to be public servants.-

The Chairperson, Members and other officers and employees of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

[F. No. . RT-16011/01/2025-RS][252961]
MAHMOOD AHMED, Additional Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.07.21 15:25:05 +05'30'